

## न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सुजानगढ़ जिला चूरु (राज.)

पीठासीन अधिकारी: श्री ओमप्रकाश वर्मा (आरएस)  
राजस्व प्रार्थना-पत्र संख्या : 288 / 2025  
निर्णय दिनांक : 22.01.2026  
जीसीएमएस संख्या- 2025 / 482

पीथाराम बनाम राजस्थान सरकार  
-:निर्णय:-

प्रकरण के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि ग्रामीण सेवा शिविर 2025 के दौरान यह प्रार्थना-पत्र भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत प्रार्थी पीथाराम पुत्र गिरधारीराम खटीक निवासी सुजानगढ़ द्वारा प्रस्तुत किया गया। प्रार्थना पत्र की पत्रावली प्रस्तुत हुई।

प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि राजस्व रिकॉर्ड में रोही ग्राम भानीसर तेजसिंहोतान की जमाबन्दी संवत् 2074-2077 के खाता संख्या 35 में प्रार्थी का नाम पीथाराम पुत्र गिरधारीराम दर्ज है। जो गलत है। प्रार्थी का सही नाम आधार कार्ड व अन्य दस्तावेजों के अनुसार पिथाराम पुत्र गिरधारी लाल अंकित है। प्रार्थी का नाम राजस्व रिकॉर्ड में दुरुस्त किये जाने का आदेश फरमावे।


प्रार्थना पत्र के साथ शिविर प्रभारी/ तहसीलदार सुजानगढ़ की रिपोर्ट का अंकन है। तहसीलदार सुजानगढ़ ने रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि उपर्युक्त वर्णित राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी का नाम पीथाराम पुत्र गिरधारीराम दर्ज है। जो गलत है। संलग्न दस्तावेजात, पटवारी, भू.अ. नि. की रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी का नाम पिथाराम पुत्र गिरधारी लाल है इसी प्रकार राजस्व रिकॉर्ड में शुद्ध किया जाना उचित है।

प्रार्थना-पत्र का अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र, दस्तावेजात, आधार कार्ड की प्रति एवं तहसीलदार सुजानगढ़ की अभिशंभा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में जिला चूरु तहसील सुजानगढ़ की संवत् 2076-2079 के राजस्व रिकॉर्ड की प्रविष्टि में निम्नानुसार रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं-

क्रं. स.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
01	भानीसर तेजसिंहोतान	35	पीथाराम पुत्र गिरधारीराम	पिथाराम पुत्र गिरधारी लाल


अन्य सभी प्रविष्टि तथा रहन (यदि हो तो) की प्रविष्टि यथावत रहेगी। निर्णय की प्रति तहसीलदार सुजानगढ़ को भिजवाई जावे। पत्रावली निर्णय में शुमार होकर हस्त जाब्ता दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 22.01.2026 को लिखाया जाकर सरेआम इजलास में सुनाया गया।

  
(ओमप्रकाश वर्मा)  
उपखण्ड अधिकारी  
सुजानगढ़ (चूरु)  
दिनांक 22.01.2026

केस नं० : ग्रामीणसेवाशिविर/2025/288

1. तहसीलदार सुजानगढ़ को नियमानुसार पालनार्थ प्रेषित है।

  
उपखण्ड अधिकारी  
सुजानगढ़ (चूरु)